02/05/11 वकील उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब का पद रिक्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/06/11 को पेश हो।

17/05/11 — आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत, मुख्य कोर्ट आटोली खेमाना पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वाद ग्रस्त हाल ख.नं. 1394/0.09, 1397/0.20, 1404/0.07, 1407/0.23 किता 4 रकबा 0.59 हैक्टेयर स्थित ग्राम आटोली खेमाना तह. भरतपुर पर पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी वास्ते 2007-2008 अधिलिखित खातेदार काश्तकार है। वादी को यह आराजी दिनांक 25/07/1995 को रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त हुई है।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा में आक्षेपित किया गया है कि वर्ष 1990 में ही तत्कालीन खातेदार एलेन्ड द्वारा गत ख.नं. 1667 रकबा 12 बिस्वा व 1668 रकबा 18 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिनसे नवीन ख.नं. 1397/0.20 हे. बना है प्रतिवादी को विक्रय किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि में कोई कथित वसीयत 1990 को पेश किया है और नहीं गत ख.नं. 1667 व 1668 की नकल जमाबंदी को पेश किया है न ही ऐसी कोई साक्ष्य पेश की है जिससे उसके कथन की पुष्टि होती हो। वादी वादग्रस्त आराजी का अधिलिखित खातेदार काश्तकार है, जब तक कोई प्रतिकूल साक्ष्य न हो अधिलिखित खातेदार के रकबे काश्त की मनवाया जाता है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है। अतः दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि —

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के रकबे काश्त, खातेदारी के वाके ग्राम आटोली खेमाना स्थित ख.नं. 1394, 1397, 1404, 1407 किता 4 रकबा 0.59 हैक्टेयर पर हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली नस्ती हो।

फैसला खुला होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सहायक कलक्टर भरतपुर